वित्तीय स्वीकृति

संख्या-44/2018/525/एक-5-2018-70/2010

प्रेषक,

किंजल सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : : दिनांक 27 मार्च , 2018**

विषयः-जनपद कासगंज कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1297/12-भवन-16/2008 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कासगंज कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1273/एक-5-2010-70/2010, दिनांक 02 जुलाई, 2010 द्वारा मानकीकृत लागत रू0 865.94 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी । शासनादेश संख्या-2967/ एक-5-2010-70/2010, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 के द्वारा अन्तिम रूप में रू0 1005.09 लाख की आगणन लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया । शासनादेश दिनांक 02 जुलाई, 2010 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी रू0 200.00 लाख की धनराशि में से शासनादेश संख्या-220/एक-5-2012- 11/2010, दिनांक 20 मार्च, 2012 के द्वारा रूपये 1,42,08,480/-(रूपये एक करोड़ बयालीस लाख आठ हजार चार सौ अस्सी मात्र) की धनराशि जनपद कासगंज के जिलाधिकारी कार्यालय/आवासीय भवनों के लिये ग्राम-जखारूद्रपुर की 20.83 हेक्टेअर भूमि अर्जन की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में धारा-6 (1)/17 हेतु प्रतिकर के रूप में नियमानुसार व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसके पश्चात मात्र रू0 57.9152 लाख की धनराशि कलेक्ट्रेट के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के पास शेष रह गयी तथा शासनादेश संख्या-86/एक-5-2014-70/2010, दिनांक 17 जनवरी, 2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-477/एक-5-2014-70/2010, दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1320/एक-5-2014-70/2010, दिनांक 22 अगस्त, 2014 के द्वारा चर्तुथ किश्त के रूप में रू0 200.00 तथा शासनादेश संख्या-42/एक-5-2015-70/2010, दिनांक 29 जनवरी, 2015 के द्वारा पंचम किश्त के रूप में 247.17 लाख की धनराशि अर्थात अनुमोदित लागत रू0 1005.09 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त परियोजना का निर्माण उक्त लागत में पूर्ण न हो पाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-170/एक-5-2015-70/2010, दिनांक 25 मई, 2015 के द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1740.03 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-748/एक-5-2015-70/2010, दिनांक 08 जून, 2015 के द्वारा षष्ठम किश्त के रूप में 647.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 1920.36 लाख की पुनरीक्षित लागत पर पुन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 268.27 लाख में से परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत रू0 1920.36 लाख की 5 प्रतिशत धनराशि रू0 96.02 लाख को रोकते हुए सप्तम किश्त के रूप में रू0 172.25 लाख (एक करोड बहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी सघ लिमिटेड (पूर्ववर्ती पैकफेड)/को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी)को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट रन न हो। अत इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) मे दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(6) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी। तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । भविष्य में प्रायोजना का अब कोई पुर्नरीक्षण स्वीकार नहीं होगा ।

(10) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को यथावत सम्मलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।,

(13) **<u>प्रायोजनान्तर्गत सम्पन्न कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता व प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित लोक निर्माण विभाग के अभियन्तागण की टीम से जॉच कराकर कार्य की गुणवत्ता व प्रगति से शासन को तत्काल अवगत कराया जाय।</u>**

(14) प्रायोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कराया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-438/दस-2018, दिनांक 23 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,
किंजल सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-44/2018/525(1)/एक-5-2018-70/2010,तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, कासगंज ।
6- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी सघ लिमिटेड (पूर्ववर्ती पैकफेड)/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in